न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व अपील संख्या : 03/2019 Gcms No. 2019/00171
दायरा तिथि : 14.05.2019
आदेश तिथि: 19-4-2022

अपीलान्ट :–
प्रकाश सरगरा पुत्र लम्बारामजी जाति सरगरा
निवासी खिमेल तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–
1. ग्राम पंचायत खिमेल
2. चम्पालाल पुत्र लम्बाराम
3. कंकु पुत्री लुम्बाराम
4. पोनी पुत्री लुम्बाराम तमाम जातिगण सरगरा
   निवासीगण खिमेल तहसील बाली जिला पाली (राज0)

उपस्थितिः–
1. श्री गणपतलाल चौधरी..... अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. श्री भरत जे. राठौड ..... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांक : 19-4-2022

अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 930 दिनांक 07.01.2008 जो सरपंच ग्राम पंचायत खिमेल द्वारा स्वीकृत किया गया)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अपीलान्ट ने उक्त अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व रेस्पोडेन्टस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता लुम्बाजी ग्राम खिमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1307 व 1360 कुल खसरा–02 कुल रकबा 4.10 हैक्टर के खातेदार दर्ज रहे है। जिस भूमि के खातेदार लुम्बा पुत्र केसा की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्या 930 दिनांक 07.01.2008 को पटवारी हल्का खिमेल द्वारा भरा गया जिसमें पटवारी हल्का ने लुम्बा के वारिसान बावत् कोई जांच नहीं की जबकि खातेदारी के मामले में राज. टिनेन्सी एक्ट के अनुसार किसी खातेदार की मृत्यु होने पर आर.टी.एक्ट. की धारा 40 के अनुसार उस व्यक्ति के धर्म/जाति पर लागु होने वाले व्यक्तिगत विधि के अनुसार नामान्तरकरण भरे जाने का प्रावधान हैं। चूँकि अपीलान्ट जाति से सरगरा हिन्दु है जो हिन्दु विधि से शाषित होता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार स्व0 लुम्बाजी की निर्वसीयत मृत्यु होने पर उनके तमाम वारिसान के नाम नामान्तरकरण कानूनन भरा जाना आवश्यक था। लेकिन पटवारी हल्का ने लुम्बाजी के एक पुत्र चम्पालाल व दो पुत्रियों कंकु व पोनी के नाम फौतगदगी नामान्तरकरण दर्ज किया। जबकि लुम्बाजी के एक पुत्र चम्पालाल व दो पुत्रियों कंकु व पोनी के अलावा **एक और पुत्र प्रकाश अपीलान्ट भी उतराधिकारी हैं।** लेकिन उसका नाम फौतेदगी नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया और भू0 अभिलेख निरीक्षक ने भी रेकर्ड से तुलना कर इन्द्राज को सही होना मानते हुये स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत खिमेल के पास भेज दिया ग्राम पंचायत ने भी लुम्बाजी के उतराधिकारीयो की जांच किये बिना नामान्तरकरण को पंचायत की बैठक दिनांक 07.01.2008 के जरिये स्वीकृत कर दिया जिस नामान्तरकरण के विरूद्व उक्त अपील अपीलान्ट की और निम्न आधारो पर प्रस्तुत की गईः–

1. कि नामान्तरकरण जैर अपील विधि विरूद्व एवं तथ्यो के विरूद्व भरा जाने के कारण काबिल खारिज हैं।
2. कि नामान्तरकरण जैर अपील भरने के पूर्व पटवारी हल्का, खीमेल ने स्वर्गीय लुम्बा पुत्र केसाजी के वारिसान बावत् कोई जांच नहीं की गई न ही स्वर्गीय लुम्बा पुत्र केसाजी के वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया न ही स्वर्गीय लुम्बा पुत्र केसाजी की मृत्यु के बाद भरे गये नामान्तरकरण की पुस्त पर कोई सजरा बनाया गया। इस कारण नामान्तरकरण जैर अपील काबिज खारिज हैं।
3. कि लुम्बा पुत्र केसाजी के जीवनकाल में ही अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस चम्पालाल व कंकु एवं पोनी जीवित थो जिनका नाम फौतेदगी नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक था। लेकिन लुम्बा के केवल एक पुत्र चम्पालाल व दो पुत्रियो कंकु व पोनी का ही नाम दर्ज किया गया। और उनका एक पुत्र अपीलान्ट प्रकाश है। उसका नाम फौतेदगी नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार नामान्तरकरण जैर अपील विधि के सुस्थापित नियमों व कानून के विरूद्व भरा गया हैं। जो नामान्तरकरण जैर अपील प्रारम्भ से ही शून्य था। जो **Void ab intio Void** होने से एवं अपीलान्ट के हितो के विरूद्व होने से अपीलान्ट की ओर से उक्त अवैद्य नामान्तरकरण को खारिज करवाने हेतु उक्त अपील पेश की जा रही है।
4. कि नामान्तरकरण जैर अपील भरते समय पटवारी हल्का खीमेल ने बिना किसी आधार के स्वर्गीय लुम्बा पुत्र केसाजी के वारिसान के रूप में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 चम्पालाल पुत्र लुम्बाजी व कंकु व पानी पुत्रिया लुम्बाजी का नाम दर्ज किया लेकिन उनके साथ उनका एक ओर पुत्र प्रकाश जो अपीलान्ट हैं उसके नाम का इन्द्राज नामान्तरकरण जैर अपील में नहीं किया गया हैं। जो दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक था। नामान्तरकरण जैर अपील को स्वीकृत करवाने हेतु ग्राम पंचायत के बोर्ड की बैठक में पेश किया जाना कानूनन आवश्यक हैं लेकिन इस नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत के बोर्ड की बैठक में पेश नहीं कर सरपंच ने अपने स्तर पर ही बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव लिये नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत कर लिया जो अवैद्य व कानून के विरूद्व होने से काबिल खारिज हैं।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील संख्या : 03/2019 Gcms No. 2019/00171
अनवान प्रकाश बनाम ग्राम पंचायत खिमेल वगैरा
अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 930 दिनांक 07.01.2008 जो सरपंच ग्राम पंचायत खिमेल द्वारा स्वीकृत किया गया)

5. कि अपीलान्ट खातेदार स्व0 लुम्वाजी ने अपीलान्ट की माता वालीबाई से अपनी पहले वाली पत्नि प्यारीबाई की मृत्यु होने के बाद सामाजिक रिती रिवास अनुसार नाता विवाह किया था। इस प्रकार स्व0 लुम्वा व वालीबाई के वैवाहिक जीवन से अपीलान्ट का जन्म हुआ अपीलान्ट के जन्म के कुछ अर्से के बाद अपीलान्ट के पिता लुम्वाजी की मृत्यु हो गई उसके बाद लुम्वा की पुर्व पत्नि के पुत्र व पुत्रियो द्वारा लुम्वा की पत्नि वालीबाई को तंग व परेशान किया गया व मारपीट की, तथा उसे घर से निकाल दिया। बाद में वालीबाई ने ग्राम खीमेल में ही समाज के अन्य व्यक्ति से सामाजिक रिती रिवाज से शादी कर ली। उस समय अपीलान्ट नाबालिग की परवरिश करने वाला कोई नहीं था। इस दौरान् वालीबाई ने अपीलान्ट को अपने पास रख कर बडा किया लेकिन पुरी ग्राम पंचायत एवं समाज वालो को यह भलीभांति जानकारी हैं कि अपीलान्ट स्व0 लुम्वाजी का जायन्दा पुत्र है। वावजुद इसके सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल ने अपने व्यक्तिगत स्तर से नामान्तरकरण जैर अपील को स्वीकृत किया है। जो काविज खारिज हैं।
6. कि ग्राम पंचायत खीमेल का सरपंच कभी भी पोकरलाल चौधरी नहीं रहा हैं। वह उप सरपंच था। अगर उनके पास सरपंच का चार्ज रहा भी है तो केवल ग्राम पंचायत के बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित कर उसी अनुरूप कार्य करने का या नामान्तरकरण भरने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन नामान्तरकरण जैर अपील में इस आदेशात्मक नियमों की पालना नहीं कर नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार किया है जो विधि विरूद्व होने से काविल खारिज हैं।
7. कि अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण जैर अपील कब भरा गया इसके बारे में अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं रही है। तारीख 22.04.2019 को अपीलान्ट ने पटवारी हल्का खीमेल से अपने पिता स्व0 लुम्वाजी की खातेदारी भूमि की जानकारी प्राप्त करने हेतु पुछताछ की तो उन्होने जाहिर किया कि नामान्तरकरण संख्या 930 दिनांक 07.01.2008 के आधार पर स्व0 लुम्वाजी के वारिसान का नाम दर्ज किया हैं। इस पर अपीलान्ट ने नकल प्राप्त करने हेतु 25.04.2019 को तहसील कार्यालय बाली में प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकले अपीलान्ट को तारीख 3.05.2019 को प्राप्त हुई। जिनका अवलोकन करने पर अवैद्य व गैर कानूनी नामान्तरकरण की जानकारी हुई। जिस पर अपीलान्ट ने उपरोक्त अपील तैयार करवा कर बिना किसी देरी के अपील पेश करवाई जा रही है। जिस अपील को देरी से पेश किये जाने के डिले को कन्डोन किये जाने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा हैं। जिस कारण अपील अपीलान्ट मयाद में शुमार की जाकर नामान्तरकरण जैर अपील को खारिज किया जाकर अपीलान्ट का नाम स्वर्गीय लुम्वा पुत्र केसाजी के वारिसान के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को सम्मन जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 04 पौनी स्वयं ने दिनांक 12.06.2019 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर लिखित बहस की। तथा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खिमेल ने पंचायत प्रस्ताव रजिस्टर की फोटो प्रति मय रजिस्टर पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 की ओर से वकील श्री भरत जे राठौड ने वकालतनामा पेश किया।

प्रस्तुत अपील में धारा–05 अवधि अधिनियम, 1963 पर वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् दिनांक 19.12.2019 को प्रार्थना पत्र अपीलान्ट स्वीकार करते हुये अपील को अवधि में शुमार करते हुये मूल अपील की बहस के लिये रखा गया। प्रकरण बहस के लिये लंवित चलते वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब किये जाने की मांग करने पर न्यायालय द्वारा रिकार्ड तलवी के आदेश पारित किये गये। जो रिकार्ड आदेशिका दिनांक 15.02.2022 से पत्रावली पर प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत का रिकार्ड प्राप्त हो जाने से वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील अपीलान्ट श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में अपील में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 930 विधि विरूद्व है, जो कि प्रारम्भः से शून्य **Void ab intio Void** है विधि अनुसार नामान्तरकरण ग्राम पंचायत की मिटिंग आहुत कर प्रस्ताव के बाद स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होता है, जबकि उक्त प्रकरण में कोई प्रस्ताव नहीं होने से उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से शून्य है। विद्वान् वकील अपीलान्ट ने अपनी दलीलो के समर्थन में निम्न कानुनी उद्धहरण पेश कियेः–

1. RRD. 1984 State of Raj v/s Govind Ram-(54) जिसके अनुसार Mutation- Attested by Upsarpanch- Held, power of attesting mutation, delegated to G.P., having Jurisdiction- G.P. does not means a Sarpanch or up sarpanch or any panch but avalidly called meeting of G.P. having quoram-To hold other- wise wole mean that each and every Panch, upsarpanch or sarpanch of G.P. can at his own, without calling meeting and whitout quoram can attest any mutation any time anywhere- Mutation, cancelled. (para 3)
2. आर.आर.टी 2009(2) बअनवान भंवरसिंह व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 मई, 2009 को पारित आदेश की प्रति पेश की। जिसके अनुसार– राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956– धारा 75 व 135– नामान्तरकरण के आदेश **के विरूद्व अपील–24 वर्ष बाद अपील पेश की–** अति. जिला कलेक्टर व राजस्व मण्डल द्वारा विलम्ब माफ किया गया– मृतक 'सी.एस' ने अपने पीछे विधवा, चार पुत्रियॉ और दो पुत्र प्रार्थी व रेस्पोण्डेन्ट नं. 7 को छोडा– निचले न्यायालयों ने निर्णीत किया कि रेस्पोण्डेन्ट जो विधिक वारिसान हैं, कृषि भूमि में हिस्से के हकदार हैं– भूमि केवल प्रार्थी व रेस्पोण्डेन्ट नंबर 07 के नाम नामान्तरित की– निर्णीत निचले न्यायालयों ने कोई अविधिकता नहीं की हैं। (पैरा 5)

पेज लगातार 03

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील संख्या : 03/2019 Gcms No. 2019/00171

अनवान प्रकाश बनाम ग्राम पंचायत खिमेल वगैरा

अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 930 दिनांक 07.01.2008 जो सरपंच ग्राम पंचायत खिमेल द्वारा स्वीकृत किया गया)

3. 2007 (1) आर.आर.टी 42 मोहनलाल बनाम बसन्ती में माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2006 को पारित निर्णय की प्रति पेश की। **जिसके अनुसार** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955– धारा 230– प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद भूमि प्रथम श्रेणी के वारिसान में नामान्तरित होनी चाहिये– माता का नाम दर्ज नहीं किया और केवल पुत्र का नाम दर्ज किया– ऐसा दस्तावेज प्रारम्भतः शून्य हैं एवं कानून क नजर में अकृत है और जब न्यायालय की जानकारी में आने पर अपास्त होने योग्य हैं– नामान्तरकरण अपास्त किया तथा "एम" द्वारा पश्चात्वर्ती विक्रय शून्य किया तथा अपास्त किया। अपनी बहस में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानो की ओर भी ध्यान आकृष्ट कर दलील दी कि नियमों में स्पष्ट वर्णित हैं कि हिन्दु पुरूष की निर्वसीयत मृत्यु होने पर **प्रथमः पुत्र, पुत्रीया, विधवा ,मृत पुत्र के पुत्र, पुत्रिया, मृत पुत्री के पुत्र व पुत्रियॉ, मृत पुत्र की विधवा (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी है) को उसकी सम्पति जायेगी।** इस प्रकार उक्त अपील में लुम्बा पुत्र केसाजी की मृत्यु होने से मृतक के पुत्र व पुत्रियो यथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03, 04 के साथ अपीलान्ट का भी बहिस्सा बराबर अधिकार आता है, जिस तथ्य को अपीलान्ट की बहन पौनी ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 12.06.2019 को लिखित बहस में स्वीकार कर दिया है। जिससे विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 930 प्रारम्भ से ही शून्य यानि **Void ab intio Void** होने से विवादास्प्रद नामान्तरकरण को निरस्त कर अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 के साथ बहिस्सा बराबर का हकदार मानते हुये नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की दलील दी गई। वकील अपीलान्ट की दलीलो का खण्डन करते हुये वकील रेस्पोडेन्ट श्री भरत जे राठौड द्वारा दलील दी गई कि स्व0 लुम्बा पुत्र केसा के विधिक वारिश पुत्र चम्पालाल व दो पुत्रिया पौनी व कंकु ही है। अपीलान्ट प्रकाश स्व0 लुम्बा द्वारा नाते में लाई गई पत्नि वालीबाई के साथ **लारवार** आया था, जो स्व0 लुम्बा व वालीबाई के दाम्पत्य जीवन से पैदा नहीं हुआ है। तथा स्व0 लुम्बा पुत्र केसाजी के देहान्त के बाद वालीबाई ने गांव खिमेल में जाति रिति से लुम्बा का घर छोड कर नाता कर दिया था, तथा साथ में अपीलान्ट को भी स्व0 लुम्बा के घर से ले गई थी। जिस तथ्य को अपीलान्ट भली भॉति जानता है। अपीलान्ट का स्व0 लुम्बा पुत्र केसाजी के परिवार से कभी कोई सबंध नहीं रहा है। इसी वजह से पटवारी हल्का द्वारा स्व0 लुम्बा के पुत्र चम्पालाल व दो पुत्रियो का नाम फौतेदगी नामान्तरकरण में दर्ज किया। तथा सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया। जिससे अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश कियेः–

1. 2018 DNJ(Raj) Page 833 जिसके अनुसार – राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956– धारा 136 नामान्तरकरण कार्यवाही– पंजीकृत गोदनामा– नामान्तरकरण कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है तथा गोदनामा को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता– पीडित व्यक्ति वाद पेश कर सकता है।
2. 2018 DNJ(Revenuej) Page 833 जिसके अनुसार –राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956– धारा 135,84– रेस्पोडेन्ट सं. 01 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया– अपीले खारिज की– निगराकार ने रेस्पोण्डेण्ट संख्या 01 के पक्ष में विक्रय पत्र रजिस्टर्ड कराया और कब्जा सुपुर्द किया– समवर्ती निष्कर्ष– रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया– पक्षकारो के अधिकार नामान्तरकरण कार्यवाही में निर्णीत नहीं किया जा सकते– विक्रय पत्र कुटरचित होना नहीं पाया– निर्णीत, आदेशो में अवैधता या प्रतिकूलता नहीं हैं। निगरानी खारिज

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में अपीलान्ट अपने आपको स्व0 लुम्बा पुत्र केसाजी का पुत्र होना बताता है, जबकि रेस्पोडेन्ट पक्ष इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते है, वे अपीलान्ट को वालीबाई के साथ **लारवार** आना मानते है तथा लुम्बा के देहान्त के बाद वालीबाई द्वारा दुसरा नाता विवाह करने से अपीलान्ट को वालीबाई द्वारा अपने साथ ले जाने से स्व0 लुम्बा पुत्र केसाजी के घर से अपीलान्ट का कोई वास्ता नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य परिवार राशन कार्ड की प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सैकण्डरी एवं सिनियर सैकण्डरी की अंकतालिकाओ, महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर द्वारा जारी अंक तालिका, आधार कार्ड एवं फोटो पहचान पत्र की प्रतियो में दर्ज इन्द्राज के अनुसार यह प्रमाणित हैं कि अपीलान्ट प्रकाश स्व0 लुम्बाराम का पुत्र है। तथा विवादास्प्रद नामा0करण संख्या 930 के अवलोकन से यह ज्ञात तथ्य हैं कि ग्राम खीमेल के खसरा नंबर 1307 व 1360 रकबा क्रमशः 0.63 हैक्टर, 3.47 हैक्टर कुल रकबा 4.10 हैक्टर लुम्बा पुत्र केसा कौम सरगरा के नाम से खातेदारी दर्ज रही है, तथा उक्त नामान्तरकरण के लुम्बा पुत्र केसा फौत होने से उनके वारिश के तौर पर चम्पालाल पुत्र लुम्बा, पोनी, कंकु पुत्रिया लुम्बा कौम सरगरा के नाम का दाखिल होकर स्वीकृत हुआ है। विवादास्प्रद नामान्तरकरण के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत की मिटिंग में प्रस्ताव लिये बगैर ही स्वीकृत कर दिया, जो प्रथम दृष्ट्या विधिक प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ है। इसके साथ ही न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत खिमेल का जो रिकार्ड तलब किया गया है, उक्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर में भी विवादास्प्रद नामान्तरकरण बाबत् लिये गये किसी प्रस्ताव का अंकन नहीं है, जो तथ्य की पुष्टि करता है कि श्री पोकरलाल चौधरी सरपंच द्वारा बिना किसी पंचायत प्रस्ताव के विवादास्प्रद नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है।

पेज लगातार....04

बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

//04//

राजस्व अपील संख्या : 03/2019 Gems No. 2019/00171

अनवान प्रकाश बनाम ग्राम पंचायत खिमेल वगैरा

अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 930 दिनांक 07.01.2008 जो सरपंच ग्राम पंचायत खिमेल द्वारा स्वीकृत किया गया)

हस्तगत् प्रकरण में अपीलान्ट स्व0 लुम्बा का जायन्दा पुत्र होने की पुष्टि प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों से होती है। इसके साथ ही उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 04 पौनी द्वारा दिनांक 12.06.2019 को जो लिखित बहस पेश की गई है। उसमें बताया कि चम्पालाल ने लुम्बाजी पुत्र केसाजी की खातेदारी भूमि खिमेल के खसरा नंबर 1307 व 160 कुल रकबा 4.20 हैक्टर में पटवारी हल्का व सरपंच से मिलकर प्रकाश का नाम दर्ज नहीं कराया। इसके साथ ही हकतर्क के बारे में अनभिज्ञता प्रकट करते हुये बताया कि चम्पालाल के पक्ष में मैने मेरी जानकारी अनुसार कोई जमीन उसके नाम दर्ज नहीं करवाई हैं लेकिन एक बार मुझे बाली लाकर बिना पढाये कुछ कागजात पर हस्ताक्षर जरूर करवाये थे। अपनी लिखित बहस में बताया कि मेरे पिता लुम्बाजी ने अपने जीवनकाल में सामाजिक रिति रिवाज अनुसार दो विवाह (शादीयॉ) की थी। पहली पत्नि का नाम प्यारी था, उससे पॉच लडके और दो पुत्रीया पैदा हुई थी। लुम्बाजी की मृत्यु के पहले चार पुत्रो की मृत्यु हो गई बाद में जीवित चम्पालाल, पौनी व कंकु रहे थो। प्यारी की मृत्यु होने के बाद लुम्बाजी ने सामाजिक रिति रिवाज अनुसार दुसरी शादी (नाता) श्रीमति वालीबाई से किया था। वालीबाई व लुम्बारामजी के वैवाहिक जीवन से एक पुत्र प्रकाश व एक पुत्री बसन्ती का जन्म हुआ था। बसन्ती एक वर्ष की थी, तब उसकी मृत्यु हो गई थी, इस प्रकार लुम्बाजी की मृत्यु के समय अन्तिम रूप से उनके वारिस उनके सबसे बडी पुत्री मैं पोनी, मेरे से छोटी कंकु हैं व उससे छोटा चम्पालाल है तथा चम्पालाल से छोटा प्रकाश हैं। इस प्रकार लुम्बाजी की सम्पति में प्रकाश का भी कानून हक आने से उसका नाम अगर दर्ज नहीं किया है, तो दर्ज किया जाना कानूनी जरूरी है और प्रकाश का नाम लुम्बाजी के वारिसान के रूप में दर्ज किया जाता है तो मुझ पौनी पुत्री लुम्बाजी को कोइ उजर एतराज नहीं है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती हैं। ग्राम खीमेल में स्व0 लुम्बा पुत्र केसाजी सरगरा निवासी खिमेल द्वारा धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 1307 व 1360 कुल रकबा 4.10 हैक्टर के सबंध में दाखिल विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 930 जो कि दिनांक 07.1.2008 को सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा स्वीकृत किया गया है, निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, बाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेपित किया जाता हैं कि स्व0 लुम्बा पुत्र केसाजी सरगरा निवासी खीमेल की मृत्यु के पश्चात् दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 930 निरस्त करने के पश्चात् स्व0 लुम्बा पुत्र केसाजी सरगरा के तमाम विधिक वारिशान की जांच करते हुये नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही कर पालना से दो माह की अवधि में इस न्यायालय को अवगत करावे। आदेश प्रति मय ग्राम खीमेल का नामान्तरकरण संख्या 930 की मूल प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। ग्राम पंचायत खीमेल का रिकार्ड बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 19-4-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner